न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 127/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 12.10.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. लटूर आत्मज मोती जाति मीणा निवासी ग्राम देदिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।

...अपीलाट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बलराम शर्मा अभिभाषक अपीलाट
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 31.01.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 11/2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान लटूर बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद मे पारित आदेश दिनांक 30.8.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0 नं0 35 रकबा 32 बीधा 14 बिस्वा वाके ग्राम देदियाहेडी तहसील दीगोद मे स्थित है जिसके बाद सेटलमेंट नये ख0 नं0 58 रकबा 5.10 है0 कायम किया गया। उक्त भूमि से लगवा तथा ख0 नं0 33 के मध्य मे ख0 नं0 34 गैर मुमकिन नाला की भूमि स्थित है जिसको पुराने नक्शे मे साफ तौर पर दिखाया गया है उक्त पुराना ख0 नं0 34 गैर मुमकिन के नये ख0 नं0 59 का 0.76 है0 डाला गया है लेकिन सेटलमेंट विभाग द्वारा नया नक्शा बनाया गया उसमे उक्त गैर मुमकिन नाला को अपीलांट की खातेदारी की भूमि नये ख0 नं0 58 के अन्दर दर्शा दिया गया जबकि सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार पूर्व राजस्व रिकार्ड, नक्शे को रद्धोबदल करने का कोई अधिकार नही है। मौके पर पुराने नक्शे के अनुसार ही अपीलांट की भूमि स्थित है लेकिन बिना किसी सक्षम आदेश के ही अपीलांट की खातेदारी की भूमि मे गैर मुमकिन नाला दर्शा दिया गया जो काबिल दुरूस्ती है। अतः साबिक ख0 नं0 34 नया 59 गैर मुमकिन नाला को पूर्व की भांति पुराने नक्शे के अन्दर दर्शाये गये अनुसार ही नक्शे मे अंकन करने व अपीलांट की खातेदारी की भूमि ख0 नं0 58 के अन्दर से हटाया जाकर पुराने नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश दिनांक 30.8.2017 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय मे पेश कर

निवेदन किया कि उक्त तथ्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित था तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट मे भी सेटलमेंट विभाग द्वारा दर्शाया गया नक्शा गलत जगह होने से दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की गई थी उक्त तथ्यो को नजर अदांज किया गया तथा प्रकरण मे अन्य कोई प्रभावित व्यक्ति नही है ऐसी स्थिति मे पक्षकार नही बनाने संशोधित नक्शा पेश नही करने का कारण अंकित कर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है जबकि सेटलमेंट के दौरान हुंई त्रुटियों को सिद्ध करने का भार अपीलांट का नही है बल्कि राज्य सरकार है तथा राज्य सरकार की ओर से उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने बावत जवाब पेश किया गया है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.8.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुराना ख0 नं0 34 नया ख0 नं0 59 को नये नक्शा ट्रेस मे गत नक्शा के अनुसार ही नये ख0 नं0 58 व 30 के मध्य मे लम्बी पट्टी के रूप मे दर्शा कर नक्शा दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपीलांट की सेटलमेंट से पूर्व ख0 35 की 32 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसके सेटलमेंट बाद नये ख0 नं0 58 रकबा 5.10 है0 कायम किया गया। अपीलांट की भूमि के लगवां व ख0 नं0 33 के मध्य ख0 नं0 34 गैर मुमकिन नाला की भूमि स्थित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा पुराने ख0 नं0 34 का नया ख0 नं0 59 दर्ज किया गया जो दोनो की भूमि मध्य न दर्शा कर अपीलांट के खेत के अन्दर आयताकार साईज मे दिखाया गया है जो बिलकुल गलत है जबकि मौके पर पूर्ववत रूप से आज भी नाला मौजूद है। अतः पूर्व नक्शे के अनुसार ही नक्शा ट्रेस मे ख0 नं0 58 व ख0 नं0 33 के मध्य मे दर्शा कर नक्शा दुरूस्त किया जाना था। भूमि कम ज्यादा होने तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होने का प्रकरण मे कोई मुद्धा नही है केवल नक्शे को दुरूस्त किया जाना है। तहसील रिपोर्ट मे भी सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शें मे नाला गलत बना दिया जाना वर्णित करते हुये दुरूस्त करने का जवाब पेश किया गया। बहस मे आगे बताया कि सेटलमेंट विभाग को नक्शें मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट खारिज करने मे त्रुटि की है। अन्त मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होना प्रकट करते हुये कथन किया कि अपीलांट द्वारा नवीन ख0 नं0 58 के समीपस्थ स्थित अन्य ख0 न0 के आसामियों को पक्षकार नही बनाया है। ऐसी स्थिति मे बिना सुनवाई व सम्यक अवसर दिये बिना नक्शे मे परिवर्तन किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांन्त के विपरीत है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल तथा रिपोर्ट पटवारी/तहसीलदार अनुसार पूर्व ख0 नं0 35 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा के सेटलमेंट बाद नये ख0 नं0 58 रकबा 5.10 है0 कायम किये गये है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है, कि ''ख0 नं0 58 से लगवा व ख0 नं0 33 के मध्य ख0 नं0 34 गैर मुमकिन नाला की भूमि स्थित है जो वर्तमान मे भी मौजूद है जिसका बाद सेटलमेंट नया ख0 नं0 59 रकबा 0.76 है0 कायम कर सेटलमेंट द्वारा गैर मुमकिन नाले को नक्शें मे अपीलांट के खातेदारी की भूमि के मध्य आयताकार सेप मे दर्शाया जिसका सेटलमेंट विभाग को रिकार्ड मे रद्धोबदल करने का कोई अधिकार नही जबकि मौके पर पुराने नक्शे के अनुसार ही अपीलांट की भूमि स्थित है''। अधीनस्थ न्यायालय क पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अवलोकन से सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शे मे नाला

गलत जगह दर्शाया जाना वर्णित करते हुये नक्शा दुरूस्त कर मौके की स्थिति के अनुसार नाला पूर्व रिकार्ड अनुसार ख0 नं0 58 व ख0 नं0 33 के मध्य होने प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे रिकार्ड एवं प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया सेटलमेट विभाग द्वारा नक्शे मे नाले की भूमि का त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया है जबकि मौके पर अपीलांट एवं नाले की भूमि पूर्ववत स्थित है। सेटलमेंट विभाग को बिना किसी सक्षम आदेश के सेटलेमेंट से पूर्व के राजस्व रिकार्ड/नक्शे मे रद्धोबदल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शे मे की गई उक्त त्रुटि को सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट से बाद के रिकार्ड, जमाबन्दी, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, तथा तहसीलदार आदि की रिपोर्ट का समुचित परीक्षण कर मौके पर नाले की स्थिति अनुसार विधि मे निहित प्रावधान अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना है। भूमि कम ज्यादा होने तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होने का प्रश्नगत प्रकरण मे कोई विवाद्यक नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो का समुचित अवलोकन किये बिना जेरअपील आदेश दिनांक 30.8.2017 पारित किया है जिसको न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट से बाद के राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, तथा तहसीलदार आदि की रिपोर्ट का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल नं0 11/2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान लटूर बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद मे पारित आदेश दिनांक 30.8.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट से बाद के राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, तथा तहसीलदार आदि की रिपोर्ट का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 31.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा